फर्द अहकाम

AC-II दूदावत्ता बनाम ओमप्रकाश वगै०

नाम न्यायालय AC-II

केस संख्या 591-176/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		आज दिनांक 17/11/25 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार/कार्यस्थगित किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/11/25 को पेश हों।
		आज दिनांक 26/11/25 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार/कार्यस्थगित किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/12/25 को पेश हों।
	03/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्रांक 11066 के द्वारा कुर्रफात प्रेषित की गई, जो शा० पत्रा० की गई। वकील वादी ने प्राप्त कुर्रफात स्वीकार कर अन्तिम डिक्री जारी किए जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर कुर्रफात पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। अतः वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखाया जाकर शा०कि० हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03/12/2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय
सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर
(पीठासीन अधिकारी – गौरव बांकावत आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 176

1. हरबक्ष उर्फ रामलाल पुत्र भौरिया उर्फ भंवरलाल जाति ब्राहमण उम्र 69 वर्ष निवासी ग्राम महल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज0)

वादी

बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र जगदीश उम्र व्यस्क
2. कमल पुत्र जगदीश उम्र व्यस्क
3. ताराचन्द पुत्र जगदीश उम्र व्यस्क सभी जाति ब्राहमण उम्र 69 वर्ष निवासी ग्राम महल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज0)
4. नहना उर्फ नैना देवी पत्नि सुवालाल जाति कुम्हार उम्र 70 वर्ष निवासी महल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज0)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण
वादी : श्री गिरिराज प्रसाद
श्री पी0के0 थाकवानी
श्री ओमपुरण प्रजापत
श्री चित्रांश माथुर

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दावा बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–03.12.2025

वादी की ओर से वाद बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया जिसका वृतान्त विवरण निम्न प्रकार से है :– वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की संयुक्त कब्जेकास्त की खातेदारी आराजी जो कि ग्राम महल, पटवार हल्का जगतपुरा, भू० अभि० नि० लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसका नया खाता सं. 32 एवं पुराना खाता संख्या 32 व अन्य आराजी नया खाता संख्या 25 एवं पुराना खाता संख्या 25 है, जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर हिस्सेनूसार काबिज कास्त होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–(क)

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

आराजी खसरा नम्बर 468 रकबा 0.3100 हैक्टेयर जिसका नया खाता सं. 32 एवं पुराना खाता संख्या 32 है, जो कि ग्राम महल, पटवार हल्का जगतपुरा, भू० अभि० नि० लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान। (ख) आराजी खसरा नम्बर 467/824 रकबा 0.0400 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 470 रकबा 0.0300 है० गैर. मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.1600 है० किस्म बारानी, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.0900 है० किस्म बारानी कुल किता 4 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर। नया खाता संख्या 25 एवं पुराना खाता संख्या 25 है, जो कि ग्राम महल, पटवार हल्का जगतपुरा, भू० अभि० नि० लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान। (इसी पैरा के उप पैरा स. (क) व (ख) मे अंकित आराजी को आगे वाद पत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा)। यह कि प्रतिवादी सं. 4 जिसका केवल मात्र वाद पत्र के पैरा 1 के उप पैरा (क) खसरा नम्बर 468 में दिशा उत्तर पूर्व में पूर्व रास्ते पर में 40 गुणा 54 फिट के करीब हिस्सा निहित है, जिस पर प्रतिवादी सं. 4 ने जमाबन्दी में वर्णित अपने हिस्से पर भू सुधार के तहत मकान बनाकर व कुछ आगे व अगल बगल मे खाली भूमि रखकर निवास करते हुए उपयोग व उपभोग कर रहा है, जिससे किसी भी पक्षकार को वर्तमान में कोई उज व आपत्ति उसके हिस्से के सम्बन्ध में नहीं है। जमाबन्दी में अंकित खाते प्रभावी वर्ष 2020 में स्वर्गवास हो गया जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्रकरण में पक्षकार मौजूद है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है, जिस पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 ने अपने अपने हक व हिस्सेनूसार कास्त उपयोग के हिसाब से मनबट किया जाकर उपयोग व उपभोग किया जा रहा है एवं उसी प्रकार से पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज कास्त होकर निर्विधन रुप से उपयोग व उपभोग कर रहे –है, जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा वगै० नहीं है। लेकिन वादग्रस्त आराजी का अभी तक किसी भी तरह से विधिवत्त रुप से विभाजन नहीं होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अमल नहीं हो पाई है। वादग्रस्त आराजी जो कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे भी संयुक्त खातेदारी की कब्जे कास्तशुदा भूमि ही दर्ज अमल है, जिसको निम्न प्रकार से वर्णित कारणो से बाई मिट्स व बाउण्ड के आधार पर विधिवत्त रुप से विभाजन कराया जाकर उसी अनुरुप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अमल कराये जाने के आशय से यह वाद पत्र श्रीमान जी के समक्ष पेश करना लाजिमी आया। वादी ने अपने हक अधिकार व हिस्से की आराजी मे अपने हिस्से पर जो मनबट के आधार पर से प्राप्त हुआ है, उस पर अपनी स्वयं की स्व. अर्जित आय का अंश लाखो रुपये लगाकर अपने हिस्से की आराजी को और अधिक उपजाउ योग्य बनाया है. इस प्रकार से वादी ने अपने हिस्से मे मनबट के आधार आई वादग्रस्त आराजी पर बिना किसी विघ्न बाधा के और अधिक उपजाउ योग्य बनाकर उपयोग व उपभोग निर्वाध निरंतर कर रहा है। जो कि बारानी भूमि है जिसके लिए सिंचाई साधन खसरा नम्बर 471 रकबा 0.0300 है. में कुआ स्थित है, जिससे वादग्रस्त आराजी की सिंचाई की जाती है। लेकिन खसरा नम्बरा 471 में स्थित कुए पर करीब 26 खातेदार है, जिन सभी के द्वारा कुए को शामलाती उपयोग व उपभोग हेतु रखा गया है, इसलिए उक्त का विभाजन कराया जाना आवश्यक नहीं है। दिनांक 04.08.2024 को वादी ने जब प्रतिवादी सं. 1 लगायत

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

3 से विधिवत्त रुप से विभाजन कराये जाने हेतु कहा तो साफ मना कर दिया और वादी का हिस्सा बदलने की धमकी देने लग गये और अविभाजित आराजी को ही किसी अन्य को विक्रय किया जाकर वादग्रस्त सम्पत्ति को विवादित किये जाने की एलानिया धमकी दी जिसके बाद में वादी ने प्रतिवादी स. 4 से कहा जिसने कहा कि उसने तो अपने हिस्से की भूमि जो अन्य सभी पक्षकारान की सहमती से जिसमें वादी की भी सहमती थी से मनबट में आये हिस्से को अंतिम रुप दिया जाकर पंजीयनशुदा विकय पत्र से कय किया जाकर सभी सह खातेदारान की सहमती से हस्सा जो उसके हिस्से में क्रय करने पर आया उसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करा लिये जाने के बाद ही उस पर मकान बनाकर और शेष भूमि पर पुख्ता फैसिंग कर रखी है. यदि अन्य खातेदार विधिवत्त विभाजन कराते है तो प्रतिवादी सं. 4 को भी विभाजन कराने से कोई आपत्ति नहीं है, अन्यथा अकेले प्रतिवादी स. 4 को वादी से विभाजन कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उक्त प्रकार से पक्षकारान के द्वारा एलानिया धमकी दिये जाने के कारण से यह विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु माद श्रीमान जी के समक्ष पेश किया जाना लाजिमी आया।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादी द्वारा अपना वाद पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की डिकी किया जावे कि:– (क). वादग्रस्त आराजी का विधिवत्त रुप से बाई मिट्स व बाउण्डस के आधार पर जहाँ वादी का कब्जा है, उसे प्राथमिकता देते हुए वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के मध्य उनके हिस्सेनूसार विधिवत्त विभाजन किया जाकर उसी अनुसार अलग खाता कायम किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अमल करने के आदेश पारित फरमाया जावे। (ख). प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी के हक अधिकार काब्जाशुदा उपयोग व उपभोग की वादग्रस्त सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से आगे रहन, बय, विकय, बख्शीश इत्यादी किसी अन्य को ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादी से करावे एवं वादी के कब्जे शुदा उपयोग व उपभोग शुदा वादग्रस्त सम्पत्तियो के अपने हक अधिकार स्वामित्व व कब्जे से किसी भी प्रकार से बेदखल करने का प्रयास ना करे, ना ही किसी भी प्रकार से आगे प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति पर कोई निर्माण कार्य इत्यादी नहीं करे, ना ही वादी के उपयोग व उपभोग में प्रतिवादीगण व अपने सहयोगीयो से किसी भी प्रकार की दखलंदाजी करे, अर्थात वादग्रस्त सम्पत्तियो का किसी भी प्रकार से आगे हस्तांतरण नही करे, ना ही किसी भी प्रकार का ऋण भार सृजित करे। अर्थात किसी भी प्रकार से वादग्रस्त भूमि पर वादी के उपयोग व उपभोग कब्जे मे बाधा कारित नही करे। इस आशय की अमर स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद फरनाया जाये एवं प्रतिवादी संख्या 5 को इस आशय की निषेधा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे माननीय न्यायालय हाजा के आदेश के बिना वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं करे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगंगा को पाबन्द फरमाये जाने के आदेश पारित फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की रजिस्टर्ड ए0डी0 तामील रिपोर्ट अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से अन्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई। लेकिन अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करने व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई

अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस वादपत्र पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर वादपत्र का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात हाल जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात में सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है जिनके मध्य आदिनांक तक विधिवत तकासमा नही हुआ है इसलिए वाद में तकासमा किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान खाता संख्या नया 32 पुराना 32 के खसरा नंबर 468 रकबा 0.3100 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 25 पुराना 25 के खसरा नंबर 467/824 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 470 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 473 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 474 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर वाकै ग्राम महल, पटवार हल्का जगतपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का विधि सम्मत मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायाल में भिजवायें।

न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 7458 दिनांक 07.08.2025 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई जो निम्नानुसार है :–

जमाबंदी अनुसार विवरण :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
01	ओमप्रकाश पुत्र जगदीश हि. 1/12, कमल पुत्र जगदीश हि. 1/12, ताराचन्द पुत्र जगदीश हि. 1/12, प्रभाती पत्नि स्व0 जगदीश हि. 1/4, हरबक्ष पुत्र भौरया हि. 1/2 जाति ब्रह्मण	467/824 470 473 474	0.0400 0.0300 0.1600 0.0900	बारानी 2 गै.मु. रास्ता बारानी 1 बारानी 1
	कुल	04	0.32	
02	ओमप्रकाश पुत्र जगदीश हि. 9/124 कमल पुत्र जगदीश हि. 9/124, ताराचन्द पुत्र जगदीश हि. 9/124, नहना उर्फ नैना देवी पत्नि सुवालाल	468	0.3100	बारानी 1

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

	हि. 2/31 जाति कुम्हार, प्रभाती देवी पत्नि जगदीश हि. 27/124 जाति ब्राह्मण, हरबक्ष पुत्र भौरया हि. 1/2 जाति ब्राह्मण			
	कुल	01	0.3100	

प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट :–

खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
ओमप्रकाश पुत्र जगदीश हि. 1/6 कमल पुत्र जगदीश हि. 1/6 ताराचन्द पुत्र जगदीश हि. 1/6 प्रभाती पत्नि स्व0 जगदीश हि. 1/2 जाति ब्राह्मण	470 473 474 468	0.03 0.16 0.09 0.0250
कुल	04	0.3050
हरबक्ष पुत्र भोरया हि. सम्पूर्ण जाति बाह्मण	468 467/824	0.2650 0.0400
कुल	02	0.3050
नहना उर्फ नैना देवी पत्नि सुवालाल हि0 सम्पूर्ण जाति कुम्हार	468	0.0200
कुल	01	0.0200

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वास्ते आपत्ति नियत की गई। वकील वादी ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार कर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। अतः आपत्ति के अभाव में तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार कर वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम जयपुर व इजलास **गौरव बांकावत** (आर.ए.एस.)

हरबक्ष शर्मा **बनाम** ओमप्रकाश वगै.

दावा बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा / 2024 / 176

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गौरव बांकावत व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार कर वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें।

निज ....—.... मुबलिग ....—.... बाबत् ....—....

खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ....—.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....—.... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.12.2025 को जारी की गई।

मुहर (मुहर: सहायक कलक्टर ...)

दस्तखत ....(हस्ताक्षर)....

ओहदा **सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय**

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय